C.No. 213/2010 लीला v/s कानाराम

24/5/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वादीगण अनुपस्थित। वकील वादी को शाम 06:00 बजे तक रोक रोक कर तीन बार आवाज लगवाई गई किन्तु वे अनुपस्थित रहे है ना ही उनके कोई प्रतिनिधी उपस्थित। अतः वादी का वाद इसी स्तर पर आदेश 09 नियम 03 CPC के तहत इसी स्तर पर अडग हाजरी अडग पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरात कर दी।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)